

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐंथिठिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा तिरुक् अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दीप चन्द्र जोशी	सहायक अभियन्ता (सिविल)	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, हारहाट	अल्मोडा/सोमेश्वर	1- रा०मा०, वृत्त लो०नि०वि०, हल्द्वानी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत सार्यों का विवरण	प्रार्थी की आयु 57 वर्ष 05 माह, 30 दिन है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण सेवाकाल में 30 वर्ष, 11 माह, 10 दिन की सेवा दुर्गम में ही की गयी है। प्रार्थी धारा 17(1) (ख)/(पांच) एव धारा 17(1) (ख)(ख) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहता है।
					2- रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	1. दुर्गम में की गयी सेवा सम्बन्धी विवरण 2. कार्मिक की आयु 57 वर्ष 05 माह 30 दिन है (कार्मिक वरिष्ठ कार्मिक) है। अतः धारा 17(1) (ख)/(पांच) के अन्तर्गत अनुरोध करने हेतु पात्र है। 3. कार्मिक दुर्गम से दुर्गम में धारा 17(एक)(ख)(ख) के अन्तर्गत भी प्रथम वृत्त, लो०नि०वि० अल्मोडा में वरियतानुसार अनुरोध चाहता है।	
					3- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5- अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, मन्नाली	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6- चतुर्थ वृत्त, उधमसिंहनगर	☒ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7- प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोडा	☒ धारा 17(1) (ख) (छ)		
					8- प्र०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9- निर्माण, लो०नि०वि०, काशीपुर			
					10- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल			

नोट - कॉलन संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रती संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम - दीप चन्द्र जोशी
 पदनाम - सहायक अभियन्ता

24-05-2023


 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 सहायक अभियन्ता (सिविल)
 प्र० अ० वि० अ० अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छविमोहन पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, चम्पावत।	जिला पिथौरागढ़ तहसील-डीहगढ़		धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	-
						() धारा 17 (1) (ख) (एक)	प्रार्थना पत्र संलग्न है।	
						() धारा 17 (1) (ख) (दो)	-	
						() धारा 17 (1) (ख) (तीन)	-	
						() धारा 17 (1) (ख) (चार)	-	
					1-कुलीय कार्यालय तृतीय कृता लो०नि०वि०पिथौरागढ़।	(✓) धारा 17 (1) (ख) (पांच)	परिचय कार्ड द्वारा अनुरोध	
					2-प्रा०खण्ड,लो०नि०वि० पिथौरागढ़।	(✓) धारा 17 (1) (ख) (छ)	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु।	
					-	() धारा 17 (1) (ख) (सात)	-	

नोट :- कॉलम सं०-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- श्री छविमोहन पाण्डेय

पदनाम - सहायक अभियन्ता

प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, चम्पावत।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- ई० बी०सी०पन्त

पदनाम : अधिशासी अभियन्ता

प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०, चम्पावत।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह/जनसंख्या/नगरपालिका का नाम	स्थापना/संस्थापन हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वसतिगृह कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	रमेशचन्द्र शर्मा	सहायक मालिक	अ.श.न. लो.नि.वि. साहिवा	जमेली परशाली	1-श.मा.श.न. डोईवाला 2-श.मा.श.न. देहशदुन 3-श.मा.श.न. देहशदुन 4-नि.श.न. देहशदुन 5-श.मा.श.न. कृषिकला 6-श.मा.श.न. देहशदुन 7-विभागाध्यक्ष कार्यालय	धारा के नाम के आगे ✓ लगावे ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☒ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (आठ)	प्रस्तुत चारों का विवरण - जन्म तिथि प्रमाण पत्र

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- रमेशचन्द्र शर्मा
 पदनाम- सहायक मालिक
 अ.श.न. लो.नि.वि.
 साहिवा

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)
 अधिशासी अभियंता
 नाम- अश्वार्थ खण्ड, लो.नि.वि.
 पदनाम- साहिवा, देहशदुन

EMP Code - 61004726

(4)

परिशिष्ट 'ख'

सेवा-पुस्तक

- 1- नाम (बड़े अक्षरों में पूरा नाम)
(हिन्दी तथा अंग्रेजी में) रमेश चन्द्र
- 2- राष्ट्रियता (यदि भारतीय नागरिक नहीं है तो
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पालतू प्रमाण-पत्र
की संख्या तथा दिनांक अंकित किया जाय) भारतीय
- 3- यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो
जाति/कोम सामान्य
- 4- पता (1) स्थायी पता ग्राम क जी० - कुवाड़ (बराही) जिला - चम्पेली (ओर)
(2) वर्तमान पता ग्राम क जी० - कुवाड़ (बराही) जिला - चम्पेली (ओर)
- 5- पिता का नाम (यदि विवाहित स्त्री है तो पति का
नाम और पता) श्री श्रीमदाराम शर्मा ग्राम क जी० - कुवाड़
जिला - चम्पेली (ओर)
- 6- जन्म-तिथि (अंकों और शब्दों में) 02/09/1967 (दो सितम्बर सन् इन्नीस)
- 7- शैक्षिक-योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहस्र
- 8- लैक-डीक नम्बर 158 ओम
- 9- वैयक्तिक अभिलेख चिह्न दोस गाल पर तिल का निशान
- 10- सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर [Signature]
- 11- कार्यालयध्यक्ष या दूसरे अभिप्रेत अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा पदनाम

अभिज्ञान अधिकारी
निर्माण विभाग, ए०.नि०.वि०
चम्पेली (विहरी-बड़वाल)

सहायक अभियन्ता-
निर्माण विभाग, ए०.नि०.वि०
चम्पेली (विहरी-बड़वाल) हस्ताक्षर
दिनांक

टिप्पणी— यह पुस्तक कम से कम प्रत्येक पांचवें वर्ष नवीनीकरण या पुनः अभिप्रेतगीत होना चाहिये और स्वयं 10 वर्ष 11 हस्ताक्षर
विभाजित होना अनिवार्य है।

प्रतियोगिता लेखा संख्या
(क्षेत्रीय सहित चंसे जी० पी० एक० लेखा संख्या
जी० पी० ए०/ 14598 में जी० ए० ए०)

रजम भीमा पालिसी संख्या

जी० पी० एक०

जी० पी० पी० एक०

जी० पी० एक०

PLD BDA-274

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	प्रस्तावित कार्यालय का नाम	गृह जनार्दन/एडसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ई० सतेज सिंह-मैरठ	सहायक अधीक्षक	अ० लक्ष्मण चकरात	देहरादून विभाग	1. आ० लक्ष्मण चकरात 2. आ० स० विवि 3. आ० प्र० 4. आ० डी० 5. आ० स० 6. आ० लक्ष्मण चकरात 7. आ० स० विवि 8. आ० प्र० 9. आ० डी० 10. आ० स०	☒ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☒ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण आ० लक्ष्मण चकरात से कोटेशन होने के कारण तब तक किन्तु 10 वर्षों में दुरुम स्थिति में होने के कारण व "अध्यापक विभाग में प्रशासनिक इलाका छोड़ होने के कारण राजस्थान में देहरादून में प्रशासनिक विभाग स्थापित करने हेतु अनुरोध"	

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) ई० सतेज सिंह-मैरठ
 नाम-ई० सतेज सिंह-मैरठ
 पदनाम- सहायक अधीक्षक

हस्ताक्षर (कार्यालयीय) 26/11/2023
 नाम- डी० पी० एस० नेगी
 पदनाम- अधीक्षक अभियन्ता
 आचार्य चण्ड लो० नि० वि०
 चकरात

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मनु सिंह	सहायक अभियन्ता	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	जनपद-हरिद्वार, तहसील-रुड़की।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, हरिद्वार।	धाराओं के नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राथी की आयु 56 वर्ष 11 माह से अधिक है। दुर्गम खण्डों में लगभग 15 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी है। अतः वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण स्थानान्तरण का पात्र है।
					रा०मा०ख०, लो०नि०वि०, डोईवाला।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	—	
					नि०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	—	
					प्रा०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	—	
					रा०मा०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	—	
					अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	☒ धारा 17(1) (ख) (पांच)	वरिष्ठ कार्मिक	
						☐ धारा 17(1) (ख) (छ)	—	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	—	

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :- इं० मनु सिंह

पदनाम :- सहायक अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :- इं० जगदीश सिंह

पदनाम :- अधिशासी अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली।

अधिशासी अभियन्ता
असाई खण्ड, लो० नि० वि०
घनसाली (रि० म०)

अनुसंधान को आधार पर आपादन करने का प्रारूप -2

[illegible]

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: डॉ. राजेश कुमार

स्वास्थ्य (आर्यभट्ट)

27.4.2023

२७७- २७७ मुद्रापाद पदार्थ

सदस्य— साहय्यल अविशयदा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

स्टीफ़ निर्वाचन डिप्लॉम, पटना-७

R.P.L. 27/4/23

1921-22 2774/5
 1922-23 2775/6

॥ १ ॥

परमात्मनोऽपि नित्यं भवति नित्यं

कार्यालय, प्रमुख, अधिवक्ता, एवं विभागाध्यक्ष

एशिया विमान विमान, एशिया विमान

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का पता	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानांतरण हेतु दस ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा (17ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यो सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शखाबत	सहायक अभियन्ता	नि० ख० लो० नि० विभाग रानीखेत	ऊधमसिंह नगर / काशीपुर	1. नि०ख० रामनगर 2. रा०मा०ख० हल्द्वानी 3. नि०ख० हल्द्वानी 4. रा०मा०वत्त हल्द्वानी 5. प्रा०ख० रुद्रपुर 6. चतुर्थवत्त ऊधमसिंहनगर 7. नि०ख० खटीमा 8. प्रा०ख० हरिद्वार 9. नि०ख० रुड़की 10. नि० ख० दुगड्डा	17(1)ख (पौंच)	प्राथी की जन्म तिथि 10 जुलाई 1985 है तथा सेवा निवृत्ति की तिथि 31 जुलाई 2025 है। अतः प्राथी की राजकीय सेवा लगभग दो वर्ष मात्र की शेष है। प्राथी की दुर्गम सेवा लगभग 14 वर्ष तथा सुगम सेवा लगभग 7 वर्ष मात्र है। प्राथी स्पानलाइटिस, कमरदर्द, सर्वाङ्गक से ग्रस्त है तथा अचानक वेहोशी हो जाने की समस्या से भी पीड़ित है। इस परिस्थिति में प्राथी दुर्गम में सेवा करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। अतः सादर अनुरोध है, कि प्राथी का स्थानांतरण कालम 6 में दिये गये स्थानों में किसी एक स्थान पर करने की कृपा करेंगे।

नोट:- कालम 7 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के
अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

१

हस्ताक्षर: (कार्मिक)

हस्ताक्षर: (कार्यालय अध्यक्ष)

नाम:

पदनाम: सह

Makhsud
12.05.23
(शखाबत)

सहायक अभियन्ता

for Makhsud
12.05.23

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 दैनिक स्थान परिवर्तन क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रमोद कुमार तिवारी	सहायक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	अल्मोड़ा / अलमोड़ा	निर्माण खण्ड, रामनगर	धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी की जन्म तिथि 08.08.1988 है, जिसके अनुसार लगभग 57 वर्ष (58 वर्ष 11 माह 28 दिन) है, जिस कारण प्रार्थी खरिद कार्मिक की श्रेणी में आता है।
2					अस्थायी खण्ड, नवाली	धारा 17(1) (ख) (एक)		
3					अस्थायी खण्ड, बेरीनाग	धारा 17(1) (ख) (दो)		
4					प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन	धारा 17(1) (ख) (तीन)		
5					प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर	धारा 17(1) (ख) (चार)		
6					प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	धारा 17(1) (ख) (पांच)	डाइस्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
7					प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17(1) (ख) (छ)		
8					निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17(1) (ख) (सात)		
9					रा0मा0 खण्ड, धुमाकोट			
10					रा0मा0 खण्ड, लोहाघाट			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- ई0 प्रमोद कुमार तिवारी

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- ई0 दीपक कुमार यादव

पदनाम- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है। के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी																		
1	2	3	4	5	6	7	8																		
1	जितेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट (उत्तरकाशी)	परिहार	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>रा०मा०खण्ड, डोईवाला</td></tr> <tr><td>2</td><td>रा०मा०खण्ड, देहरादून</td></tr> <tr><td>3</td><td>नि०ख०, देहरादून</td></tr> <tr><td>4</td><td>प्रा०ख०, देहरादून</td></tr> <tr><td>5</td><td>अ०ख०, नविकेश</td></tr> <tr><td>6</td><td>अ०ख०, सहिया</td></tr> <tr><td>7</td><td>नि०ख०, चम्पा</td></tr> <tr><td>8</td><td>नि०ख०, नन्देन्द्रनगर</td></tr> <tr><td>9</td><td>नि०ख०, दुमकट</td></tr> </table> ☐ धारा 17(1) (ख)(एक) ☐ धारा 17(1) (ख)(दो) ☐ धारा 17(1) (ख)(तीन) ☐ धारा 17(1) (ख)(चार) ☒ धारा 17(1) (ख)(पांच) ☒ धारा 17(1) (ख)(छ) ☐ धारा 17(1) (ख)(सात)	1	रा०मा०खण्ड, डोईवाला	2	रा०मा०खण्ड, देहरादून	3	नि०ख०, देहरादून	4	प्रा०ख०, देहरादून	5	अ०ख०, नविकेश	6	अ०ख०, सहिया	7	नि०ख०, चम्पा	8	नि०ख०, नन्देन्द्रनगर	9	नि०ख०, दुमकट	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी की आयु 56 वर्ष हो स तथा दुर्गम खण्डों में लगभग 10 पूर्ण हो रहे हैं। प्रार्थी के अनुरोध आधार पर उक्त खण्डों में से 1 एक खण्ड में स्थानान्तरण करने कृपा करें, यदि सुगम में सम्भव : फरये तो दुर्गम क्षेत्र के अग्रचलाधिक नि०ख०मन्त्रा में स्थानान्तरण करने महान कृपा करें।
1	रा०मा०खण्ड, डोईवाला																								
2	रा०मा०खण्ड, देहरादून																								
3	नि०ख०, देहरादून																								
4	प्रा०ख०, देहरादून																								
5	अ०ख०, नविकेश																								
6	अ०ख०, सहिया																								
7	नि०ख०, चम्पा																								
8	नि०ख०, नन्देन्द्रनगर																								
9	नि०ख०, दुमकट																								

नोट- कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- जितेन्द्र कुमार
पदनाम- सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

नाम- इ० मन्मोहन
पदनाम- अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-02

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक ही घात जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजपाल सिंह	सहायक अधीक्षक	निर्माण खण्ड लेआउटिंग विभागीय (उत्तरखंडी)	देहरादून / देहरादून	1- निर्माण खण्ड लेआउटिंग कार्यालय 2- प्रांतीय खण्ड लेआउटिंग कार्यालय 3- निर्माण खण्ड लेआउटिंग कार्यालय 4- निर्माण खण्ड लेआउटिंग कार्यालय 5- प्रांतीय खण्ड लेआउटिंग कार्यालय	घात के नाम के अंतर्गत ☒ लगाये	प्रस्तुत सारणी का विवरण	मेरी वर्तमान स्थितिगत हो गया है। मेरे दो बच्चे एक बेटा उम्र 15 वर्षों में एक बेटी उम्र 12 वर्षों में। मेरे अतिरिक्त देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी उम्र की 56 वर्षों हो गयी है।
						☐ घात 17(1) (ख) (एक)		
						☐ घात 17(1) (ख) (दो)		
						☐ घात 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ घात 17(1) (ख) (चार)		
						☒ घात 17(1) (ख) (पांच)	सम्बन्धी का कुल प्रमाण-पत्र, वैरिफिकेशन प्रमाण-पत्र	
						☐ घात 17(1) (ख) (छह)		

नोट-कोई भी संख्या 17 के अंतर्गत नहीं आवेदन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। एक ही घात के अन्तर्गत नाम दिया जा सकता है।


राजपाल सिंह

सहायक अधीक्षक
निर्माण खण्ड, लेआउटिंग
विभागीय


(1) घात के अंतर्गत

अतिरिक्त अधीक्षक
निर्माण खण्ड, लेआउटिंग
विभागीय

सं. 1

No. 1



उत्तर प्रदेश सरकार
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
DEPARTMENT OF MEDICAL AND HEALTH
नगर निगम मुरादाबाद
NAGAR NIGAM MORADABAD

फॉर्म-6
FORM-6

मृत्यु प्रमाणपत्र
DEATH CERTIFICATE

उत्पन्न मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा उत्तर प्रदेश मृत्यु रजिस्ट्रेशन विधम, 2002 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया।
ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE UTTAR PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2002.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि नगर निगम मुरादाबाद तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद राज्य/राज्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के रजिस्ट्रार में उपलब्ध है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR NAGAR NIGAM MORADABAD OF TAHSILDAR MORADABAD OF DISTRICT MORADABAD OF STATE/UNION TERRITORY UTTAR PRADESH, INDIA.

मृत्यु का नाम / NAME OF DECEASED : CHANDRA PABHA

लिंग / SEX: महिला / FEMALE

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:

02-10-2020

SECOND OCTOBER TWO THOUSAND TWENTY

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:

HOME MORADABAD, MORADABAD, MORADABAD, UTTAR PRADESH

मृत्यु की उम्र / AGE OF DECEASED:

49 YEARS

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:

RAJ PAL SINGH

माता का नाम / NAME OF MOTHER:

अपत्य नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:

पिता का नाम / NAME OF FATHER:

अपत्य नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:

अपत्य नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:

मृत्यु के समय मृत्यु का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

मृत्यु का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

MORADABAD, MORADABAD, MORADABAD,
UTTAR PRADESH

MORADABAD, MORADABAD, MORADABAD,
UTTAR PRADESH

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO.
D-2020-9-0054-004302

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
30-10-2020

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

प्रती बताने की तिथि / DATE OF ISSUE:
06-11-2020

प्रती बताने का अधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
नगर निगम मुरादाबाद
NAGAR NIGAM MORADABAD

UPDATED ON:
06-10-2020 21:35:02



"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS PASCAL SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY"
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 10/2014-AN/CHS DATED 27-JULY-2015 HAS
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.
"यह प्रमाणपत्र एक कंप्यूटर जनित प्रमाणपत्र है जो कि जारी करने वाले अधिकारी के पसकल हस्ताक्षर का उपयोग करता है।" ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH



स्वयं सुधारित

12.5.23

सदर

सपजिलाधिकारी-सदर,
मुरादाबाद।

सेवा में

जिला विद्यालय निरीक्षक-द्वितीय,
मुरादाबाद।

संख्या: 2114
विषय:

/एसओसी/ (एसओसीएन-सदर)/ 2021

स्व० चन्द्र प्रभा पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासी- 98, भटनागर भवन, डिप्टीगंज, तहसील व जिला मुरादाबाद के वारिसान के संबंध में।

दिनांक: ०८ फरवरी, 2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अपने कार्यालय पत्र संख्या- ना0/849-59/2020-21 दिनांक 17.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीमति चन्द्र प्रभा पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासी- 98, भटनागर भवन, डिप्टीगंज, तहसील व जिला मुरादाबाद, जिनकी दिनांक 02.10.2020 को मृत्यु हो गयी है, के वारिसानों के संबंध में आख्या उत्पन्न कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

स्व० चन्द्र प्रभा पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासी- 98, भटनागर भवन, डिप्टीगंज, तहसील व जिला मुरादाबाद के वारिसानों की जांच तहसीलदार सदर से कराई गई। तहसीलदार सदर मुरादाबाद की जांच आख्या दिनांक 30.01.2021 के द्वारा स्व० चन्द्र प्रभा पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासी- 98, भटनागर भवन, डिप्टीगंज, तहसील व जिला मुरादाबाद के निम्न वारिसान संज्ञान में लाये गये हैं:-

क्र. सं.	वारिसान का नाम	नृतक के सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	आयु/ जन्मतिथि	निवास स्थान
1.	राजपाल सिंह पुत्र किशन सिंह	पति	विधुर	54 वर्ष	निवासी- पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, एचन-315, गिवाइश्रीत, बदीनाथ मार्ग, कोटहार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
2.	रुजत सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह	पुत्र	अविवाहित	14 वर्ष	निवासी- डिप्टी गंज, नालती नगर, तहसील व जिला मुरादाबाद
3.	सु० गान्धी सिंह पुत्री श्री राजपाल सिंह	पुत्री	अविवाहित	11 वर्ष	निवासी- डिप्टी गंज, नालती नगर, तहसील व जिला मुरादाबाद

तहसीलदार सदर मुरादाबाद की उपर्युक्त आख्यानुसार क्रमांक 01 ता 03 के अतिरिक्त नृतक का अन्य कोई वारिस नहीं है।

भवदीया,

Self. *[Signature]*
12.5.2023

सपजिलाधिकारी-सदर,
मुरादाबाद।

मह. २०/०२/२१

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह स्वाम्य / लालचील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐंकेड स्वरूप परिकल्पना क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (संख्या सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री कान्ता प्रसाद	प्रभारी सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 बेरीनाग	सधमसिंह नगर / किछल	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, राम नगर चतुर्थे पृष्ठ सधमसिंह नगर रा0ग00 खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत	17 (1) (ख) (पांच) संलग्न - रेखा कुटिल की प्रमाणित छाया प्रति	प्रार्थी की सेवा नियुक्ति की तिथि 30 जून 2025 है। प्रार्थी की राजकीय सेवा लगभग 02 वर्ष ही शेष है। प्रार्थी दुर्गम में 16 अगस्त 2004 से 11 अगस्त 2009 तक निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, 13 जून 2018 से दि0 01-01-2023 तक निर्माण खण्ड रानीखेत में राजकीय सेवा कर चुका है एवं 02 जनवरी 2023 से आतिथि तक अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है। मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है एवं बेरीनाग में चिकित्सीय सुविधाएं उच्च स्तर की न होने के कारण प्रार्थी को स्वास्थ्य के प्रति परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी के राजकीय सेवाओं के अन्तिम दो वर्ष के लिए गृह क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

नोट - कालम सं0 7 दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में स्क्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम - कान्ता प्रसाद

पदनाम - प्रभारी सहायक अभियन्ता

20/04/2023

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

अधिशाली अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत

पदनाम - अधिशाली अभियन्ता

①
EmpCODE-750025773

F. R. Form No. 13

See paragraph 35 of Auditor General's instructions issued under F



1. नाम श्री कान्हा प्रसाद
2. जाति या कौन हिन्दु / कुर्मी (पिहड़ी जर्म)
3. निवास स्थान ग्राम व मोह - बरा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर
4. पिता का नाम तथा जन्म स्थान श्री राम प्रसाद, ग्राम व मोह बरा, जिला ऊधमसिंह नगर
5. जन्म तिथि 28.6.65 (अक्टोबर जून डब्ल्यूएससी पैसठ)
6. ठीक-ठीक लम्बाई 5 फुट 8 1/2 इंच
7. वैयक्तिक अभिज्ञान चिह्न दाईं ओर गाल में तिल का निशान
8. सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर 
9. कार्यालयध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद नाम

प्रमाणित
28/07/2023
सहायक अभियन्ता
अल्हाई खण्ड लोनिवि
बेरीनाम (पिहड़ी जर्म)

26/9/24
सहायक अभियन्ता
मिर्जापुर
26/9/24

N. B. : The entries in this page should be renewed or attested at last every Five year :
and the signature on items and (Q) should be dated.

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

आवेदन प्रत्यापन करने का प्रारूप-2								
क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद एवं सहसरील	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता के क्रम में	एन्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	इ. मुकेश चन्द सेनी	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊर्खीमठ	मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) / बुढाना	1 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. रुडकी। 2 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. हरिद्वार। 3 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. लखनऊ 4 अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि. जलिकेश। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. खोईवाला। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. रुडकी। 7 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. देहरादून। 8 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. देहरादून। 9 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. गोरदनगर 10 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच) ☐ धारा 17 (1) (ख) (छ) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण 1 चिकित्सा प्रमाण पत्र। 2 ईको टेस्ट रिपोर्ट अभिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं शासनादेश की छाया प्रति।	वर्तमान में प्रार्थी अर्जित आयु के 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। शासनादेश सं. 1/120800/2023/XXX (2) E-33080 दि० 10-05-2023 के विन्तु सं० 3 के अनुसार प्रार्थी को ऐच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण अनुमत्त है। प्रार्थी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- इ. मुकेश चन्द सेनी

पदनाम- सहायक अभियन्ता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- इ. मनीष कुमार वर्मा

पदनाम- अभिशासी अभियन्ता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश चन्द सैनी पुत्र स्व. श्री समय सिंह निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीनठ में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत् हैं। विभागीय सेवा अभिलेखानुसार इनकी जन्मतिथि 01-05-1964 है। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30-04-2024 है।


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि. विभाग
ऊखीनठ (पञ्जाब)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठा क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दीप चन्द्र जोशी	सहायक अभियन्ता (सिविल)	पीएमजीआईएसआईओ खण्ड, लोनिवि, द्वाराहाट	अल्मोडा/सोमेश्वर	1- रोडगाँव, वृत्त लोनिवि, हल्द्वानी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत सञ्चय का विवरण	प्रार्थी की आयु 57 वर्ष 05 माह, 30 दिन है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण सेवाकाल में 30 वर्ष, 11 मंथ, 10 दिन की सेवा दुर्गम में ही की गयी है। प्रार्थी धारा 17(1) (ख)(पांच) एवं धारा 17(1) (ख)(छ) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहता है।
					2- राठगाँव खण्ड लोनिवि, हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					3- निर्माण खण्ड, लोनिवि, हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4- निर्माण खण्ड, लोनिवि, रामनगर	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5- अस्थाई खण्ड, लोनिवि, भवाली	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6- चतुर्थ वृत्त, जयमहिनागर	☒ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7- प्रथम वृत्त, लोनिवि, अल्मोडा	☒ धारा 17(1) (ख) (छ)		
					8- प्रमुख, लोनिवि, रुद्रपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9- निखड, लोनिवि, काशीपुर			
					10- निर्माण खण्ड, लोनिवि, नैनीताल			

नोट - कोतम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सन्दर्भ में सक्षम स्तर से निर्माण प्रमाण, यह सहायक अभियन्ता (सिविल) के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

नोट - कोतम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम - दीप चन्द्र जोशी
 पदनाम - सहायक अभियन्ता


 पीएमजीआईएसआईओ खण्ड
 लोनिवि निर्माण विभाग
 पदनाम - श्री दीप चन्द्र जोशी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० स०	नाम	पद नाम	वर्तमान कार्यालय का पता	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हर्षवर्धन मैठाणी	सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर, चमोली	रुद्रप्रयाग/ ऊखीमठ	1 राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर 2 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. श्रीनगर 3 प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. पीढ़ी 4 प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. रुद्रप्रयाग 5 राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग 6 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. गौचर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17 (1) (ख) (छ) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण सेवा विवरण	प्रार्थी की वृद्ध माता तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत मक्कूगढ गोंद में निवासरत है जो अक्सर बीमार रहती है। जिनकी देखभाल हेतु प्रार्थी को समय-समय पर घर जाना पड़ता है। जिस कारण प्रार्थी दुर्गम में ही कार्य करने का इच्छुक है। अतः प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्णित दुर्गम खण्डों में करने की कृपा करेंगे।

नोट - कॉलम संख्या 7 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर कार्मिक

नाम- हर्षवर्धन मैठाणी

पदनाम- सहायक अभियन्ता (सिविल)

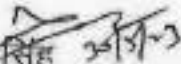
हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- ई० एस०एस० पटवाल

पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
 PROVINCIAL DIVISION PWD
 GOPESHWAR

संशोधित आवेदन
अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धर्मेन्द्र सिंह (420081 98)	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० भराली, चमोली	देहरादून/ विकासनगर		धारा के नाम के आगे(सही) लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राथी का दुर्गम से सुगम की अनिवार्य सूची में 12 क्रमांक पर है। दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण न हो पाने की स्थिति में प्राथी का धारा 17(1) (ख) (घ) के अन्तर्गत कोलम 8 में अंकित खण्डों में वरीयता क्रम में स्थानान्तरण करने का कष्ट करें।
					1-रा०मा०खण्ड धूमाकोट	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					2-रा०मा० खण्ड श्रीनगर	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					3-अ०खण्ड शत्युद्ध	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
						☒ धारा 17(1) (ख) (छ)	दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (आठ)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (नौ)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दस)		

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
नाम-धर्मेन्द्र सिंह
पदनाम-सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष) 
नाम- एस०एस०रावत
पदनाम-अधिशाली अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2								
क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						धारा के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत शाखों का विवरण	
2					प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
3					निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
4					प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
5					राजगार खण्ड, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
6					निर्माण खण्ड, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
7					नि०ख०-2 (ए०डी०बी०), अल्मोड़ा	☒ धारा 17(1) (ख) (छ)		
8					-	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
9					-			
10					-			

नोट :- कॉलम संख्या- 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

कॉलम संख्या- 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तनी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम—

पदनाम—

६० सुखन चन्द्र

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर ।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम—

पदनाम—

इं० राजकुमार

अधिरासी अभियन्ता

प्रान्तीय स्वयं, लो०नि०वि०
बागेश्वर ।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छविगोहन पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	प्र०खण्ड, लो०नि०वि०, धम्पावत।	जिला विधिरागढ़, तहसील-डीहमहाट		धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	-
						() धारा 17 (1) (ख) (एक)	प्रार्थना पत्र संलग्न है।	
						() धारा 17 (1) (ख) (दो)	-	
						() धारा 17 (1) (ख) (तीन)	-	
						() धारा 17 (1) (ख) (चार)	-	
					1-वर्तमान कार्यालय वर्तमान लो०नि०वि० विधिरागढ़।	(✓) धारा 17 (1) (ख) (पांच)	परिष्कृत कार्यालय द्वारा अनुरोध	
					2-प्र०खण्ड, लो०नि०वि० विधिरागढ़।	(✓) धारा 17 (1) (ख) (छ)	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु।	
					-	() धारा 17 (1) (ख) (सात)	-	

नोट :- कॉलम सं०-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- श्री छविगोहन पाण्डेय

पदनाम - सहायक अभियन्ता

प्र०खण्ड, लो०नि०वि०, धम्पावत।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- ई० बी०सी०पन्ना

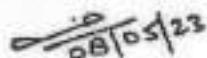
पदनाम : अधिरासी अभियन्ता

प्र०खण्ड, लो०नि०वि०, धम्पावत।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप- 2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यस्थल का नाम	पूरा जनपद/ खंडीय का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐडिडक स्थान परियोजना क्रम नं.	एक्ट की धारा त्रिशके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुरा शाहिल	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी	हरिद्वार/रुठकी	1. रा० मा० खण्ड, श्रीनगर 2. अ० ख०, श्रीनिगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगावे ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ✓ ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	-	प्राप्ति का नाम स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 जे०के निर्देश दिशा में सहायक अभियन्ता (निर्माण) की सिफारिश (मार्गदर्शित) (द्वितीय सारोपण) में क्रम सं० 24 पर है। प्राप्ति दिनांक 01.09.2024 से वर्तमान तक (23 वर्ष 03 मा० 28 दिन) पूर्ण संक एव सीमांत जनपद उत्तराखण्ड, श्रीनिगर (रुठकी) पड़ोस एव पहाड़ी में कार्यरत रहा है। वर्तमान कार्यस्थल से दिनांक 21.08.2023 को 06 वर्ष 04 मा० 28 दिन हो जायेगी। प्राप्ति की प्राप्ति एव बर्ष, पुद्ग एव बीमार मरताजी जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है की देखभाल एवं उपचार हेतु रुठकी में निवासरत है। सत कार्यस्थल पोखरी (पहाड़ी) पृष्ठभूमि से लगभग 205 किमी० की दूरी पर पूर्ण व स्थित होने के कारण परिस्थितिक जिनमेदोषों के निर्वहन एवं मरताजी के उपचार हेतु समय-समय पर रुठकी आने-जाने व आवश्यक रुठिगाई एवं अधिक हानि हो रही है।

हस्ताक्षर (कार्यिक)



नाम - अनुरा शाहिल

पदनाम - सहायक अभियन्ता (निर्माण)

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी

हस्ताक्षर (स्थानान्तरण)

नाम - श्री सत्य प्रसाद मिश्रा

पदनाम - अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2 (संशोधित)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह-परामर्श/नहरील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों परियोजनाओं में से	एवंत की द्वारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तुलाराम (Employees code-370022419)	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग- लोहाघाट	ऊमसिंह नगर/बाजपुर	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0-रानीखेत ☐ द्वारा 17(1)(ख) (एक) रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0-रानीखेत ☐ द्वारा 17(1)(ख) (दो) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0-अल्मोडा ☐ द्वारा 17(1)(ख) (तीन) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0-अल्मोडा ☐ द्वारा 17(1)(ख) (चार) रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0-धुमाकोट ☐ द्वारा 17(1)(ख) (पांच) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0-चम्पावत ☒ द्वारा 17(1)(ख) (छ) ☐ द्वारा 17(1)(ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण लो0नि0वि0 विभाग द्वारा अप्रैल, 2023 में जारी स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 हेतु सहायक अभियन्ता(सिविल) दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण पात्रता सूची (द्वितीय संशोधित) के कम सं0-25 पर तुलाराम नाम अंकित है। (सूची संलग्न)	लो0नि0वि0 विभाग द्वारा वर्ष 2023 हेतु सहायक अभियन्ता(सिविल) दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण पात्रता सूची (द्वितीय संशोधित) के कम सं0-25 में तुलाराम नाम अंकित है। जिसके अनुसार दुर्गम अवधि सेवा गणना के गुणांक के अनुसार मेरी राजकीय सेवा कुल 23 वर्ष, 03 माह व 25 दिन (पूर्वकालीन दुर्गम) हो चुकी है तथा मेरी आयु 63 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। (संलग्न विभागीय सूची)

हस्ताक्षर(कार्मिक)

नाम- तुलाराम

पदनाम-सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-इ0 सजय चौहान

पदनाम-अधिसासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पूरा जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान श्रियता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० मदन लाल वर्मा	सहायक अभियन्ता	राष्ट्रीय राजमार्ग जंक्शन, सोनभिट्टी, रानीखेत (अल्मोड़ा)	मैत्रीताल/मैतालघाट	प्रान्तीय सचिव, सोनभिट्टी, अल्मोड़ा	धारा के नाम से जाने पताचारे	प्रस्तुत सचिवी का विवरण
					निर्माण विभाग, सोनभिट्टी, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	
					☒ धारा 17(1) (ख) (चार)	संलग्न	
					☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					☒ धारा 17(1) (ख) (छ)	संलग्न	
					☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट :- कालम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गमित प्रमाण पत्र स्वोपप्राप्तित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, सभी एकट की धारा के अन्तर्गत लागू

हस्ताक्षर (कर्मिक)
नाम- डॉ० मदन लाल वर्मा
पदनाम- सहायक अभियन्ता
सर्विसाई कोड- 11002587

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)
नाम- डॉ० महेंद्र कुमार
पदनाम- अधिरक्षणी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यस्थल का नाम	गृह व्यवस्था/राश्वरीय का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठता क्रम में	एक ही धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1-	दोहिआ प्रसाद वर्मा	सहायक अभियन्ता (प्रभारी)	प्रान्तीय रेलवे, ली. सि. वि. डी.डी.सी.टी.	अल्मोड़ा/रानीखेत	1- निर्माण खण्ड अल्मोड़ा 2- प्र. र. रानीखेत 3- रा. मा. र. रानीखेत 4- प्र. र. अल्मोड़ा 5- रा. मा. र. धूमकीर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत आवेदनों का विवरण अनुवीक्षक	प्रतीक, विवेक, है कि, उपर्युक्त की मांग करने की वार्ता आयोजित है उसी हेतु वार्ता में सुझाव मिले हैं। अतः अनुवीक्षक है कि यदि प्रार्थना का व्यवधान-करण सुगम रहने में सहायता मिले तो वरिष्ठता के हिसाब से सुगम हो सकेगा।

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में तक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम- दोहिआ प्रसाद वर्मा
 पदनाम- सहायक अभियन्ता (प्रभारी)
 28/4/23



हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)
 नाम- ...
 पदनाम- ...

5:02pm (15/12/2023)

प्रमाणित

प्रमाणित

अनुसंधान के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2 (मेरा नाम गुणगुन मेरी है, 3/2/2023) 10/12/2023

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यस्थल का नाम	पूर्व संस्था/संस्थान का नाम	समाप्त/समाप्त होने का दिनांक/स्थान	एक ही घंटा विराम अवधि का अनुभव किया गया है	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रमेश चंद	अधीक्षक अभियंता 7 वीं वृत्त लो. नि. वि. गोपेश्वर	7 वीं वृत्त लो. नि. वि. गोपेश्वर	रमेश चंद / 2-गंगा नगर	1/27 रा. गंगा नगर 2/25 रा. गंगा नगर 3/26 रा. गंगा नगर 4/14 नि. गंगा नगर 5/11 नि. गंगा नगर 6/13 रा. गंगा नगर 7/22 रा. गंगा नगर 8/23 नि. गंगा नगर 9/26 नि. गंगा नगर	घंटा के रूप में करे व अवधि ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख) ☒ घंटा 17(1) (क) (ख) ☐ घंटा 17(1) (क) (ख)	

नोट- कोलम संख्या-07 में दर्शाए गए आधार का सम्बन्ध में स्वयं स्तर से विहित दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रमाणित किया गया है।
एक ही घंटा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम-

पदनाम-

(रमेश चंद)

अधीक्षक अभियंता 7 वीं वृत्त लो. नि. वि. गोपेश्वर

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम-

पदनाम-

अधीक्षक अभियंता

7 वीं वृत्त लो. नि. वि. गोपेश्वर (चमोली)

15/12/23

OK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

(2)

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जमापद/ तहसील का नाम	स्वातंत्र्यपत्र हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परिचय क्रम में	एक की छत्र जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9
कमल गोपाल	महामक अभियन्ता	जं. उव. को.नि.वि. अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1. NH Rankhat	17 (ख) (दः)		प्राची की उम्र 58 वर्ष हो चुकी है। प्राची वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आता है। प्राची ने बुर्गन सेवा में 2179 H 10 दिन की सेवा पूर्ण की है। प्राची द्वारा वर्तमान कार्यालय में 1047 H 10 D की सेवा प्रदान की है। अतः प्राची स्वातंत्र्यपत्र देता पात्र है।
				2. 1 st Circle Almora	17 (ख) (दः)	प्राची द्वारा प्रदा की गई सेवा भववि का विवरण संलग्न है।	
				3. CE off. Almora	17 (ख) (दः)		
				4. NH Circle HALDWAR			
				5. 2 nd Circle Nainital			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- कमल गोपाल
पदनाम- महामक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयप्रमुख)
नाम- अधिशासी अभियन्ता
पदनाम- महामक को.नि.वि.
अल्मोड़ा

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा 17 ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री ललित सिंह अधिकारी	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. गैरसैण	नैनीताल/कोसिया कुटीली	1- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. हल्द्वानी। 2- निर्माण खण्ड लो.नि.वि. हल्द्वानी। 3- राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो.नि.वि. हल्द्वानी। 4- निर्माण खण्ड लो.नि.वि. रामनगर। 5- अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. भवाली। 6- दत्त वृत्त लो.नि.वि. ऊपमसिंह नगर। 7- राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो.नि.वि. रानीखेत। 8- प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत। 9- प्रथम वृत्त लो.नि.वि. अल्मोड़ा। 10- प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. अल्मोड़ा।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17 (1) (ख) (छ) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण। विगत 22 वर्षों से दुर्गम में कार्यरत है। कुल 4949 दिवस दुर्गम में कार्यरत

नोट:- कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम:- इ. ललित सिंह अधिकारी
पदनाम:- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम:- इ. सुनील कुमार
पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता

21/4/23
Executive Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियोजना क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैलाश शीतला	सहायक अभियन्ता	ग्रामीय खण्ड, लोअनि0वि0, अल्मोड़ा।	नैनीताल (हल्द्वानी)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	इस खण्ड में लगभग 06 वर्ष कार्यकाय पूर्ण हो चुका है।
					ग्रामीय खण्ड, रानीखेत	धारा 17 (1) (ख) (एक)		
					राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						✓ धारा 17 (1) (ख) (छ)		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- कैलाश शीतला

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- ड० इन्दरजीत बोस

पदनाम- अधीक्षक अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैधिक स्थान वरीयता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	संजय सिंह बिष्ट	सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर	पौड़ी गढ़वाल/श्रीनगर	1 मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० देहरादून 2 खासिटी कन्ट्रोल सैल, देहरादून 3 अन्वेषण सैल, देहरादून 4 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून 5 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, जोईबाला 6 राष्ट्रीय राजमार्ग, खण्ड लो०नि०वि० रुड़की मु०- देहरादून 7 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी 8 मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० पौड़ी	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☒ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत स्तरों का विवरण उप शिक्षा अधिकारी (प्रो०शि०), विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न। एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर प्रदर्शित आटा की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न।	पत्नी (राजकीय सेव में कार्यरत) राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरसानी, विकास खण्ड-कोट, जनक पौड़ी गढ़वाल में प्राधान्याधिकार के पद पर कार्यरत। दुर्गम कार्यस्थल प 20 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण।

नोट- कॉलम सं०-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की संगत धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।



हस्ताक्षर (कार्यिक)
नाम- संजय सिंह बिष्ट
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०



हस्ताक्षर (कार्यालयीय)
नाम- दिनेश प्रसाद आर्य
अधिशाली अभियन्ता
आ० अ० लो० नि० वि०
पौजगर, मु०-कीर्तिनगर

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया जा रहा है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा	सहायक अभियंता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला	हरिद्वार/रूडकी	1. रा0मा0 खण्ड, डोईवाला। 2. प्रान्तीय खण्ड, देहरादून। 3. निर्माण खण्ड, देहरादून। 4. पी0एम0यू0, ए0डी0पी0, देहरादून। 5. रा0मा0 खण्ड, देहरादून। 6. प्रमुख अभियंता कार्यालय, देहरादून। 7. क्वालिटी कंट्रोल सेल, देहरादून। 8. अस्थाई खण्ड, शत्युड़। 9. अस्थाई खण्ड, साहिया। 10. राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, बड़कोट।	☒ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17 (1) (ख) (छः) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण राज्य चिकित्सा परिषद- उत्तराखण्ड (मेडिकल बोर्ड) का प्रमाण पत्र संलग्न है। वर्तमान में प्राथी की लगभग 15 वर्ष की सेवा दुर्गम में हो चुकी है।	प्राथी के पिताजी Potts Spine (Tuberculosis of Spine) से पीड़ित होने के कारण 2 वर्षों से Bedridden है। पूर्व में दुर्गमग्राम कौशिका हो गया था। उनके देखभाल के बार-बार स्वास्थ्य परिक्षण हेतु डाक्टर को दिखाना पड़ता है, जिस कारण दुर्गम से सुगम खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करें। ऐच्छिक स्थान उपलब्ध पर मुझे यथावत, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला में रखने की

हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम - पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा
 पदनाम - सहायक अभियंता (सिविल)
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला

हस्ताक्षर कार्याध्यक्ष



नाम - दीपक कुमार
 पदनाम - अधिशासी अभियंता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला

संशोधित आवेदन
अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृहजनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री निरंजन सिंह रावत	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली, धमोली	पीड़ी गढ़वाल / पीड़ी	1-अ०ख० कीर्तिनगर 2-निर्माण खण्ड पाबो 3-रा०मा० खण्ड श्रीनगर 4-निर्माण खण्ड श्रीनगर 5-रा०मा०ख० घुमाकोट 6-अस्थाई खण्ड सहिया 7-निर्माण खण्ड चन्दा 8-रा०मा०ख० बड़कोट 9-रा०मा०ख० रुद्रप्रयाग 10-प्रा० ख० रुद्रप्रयाग	धारा के नाम के आगे (सही) लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात) ☐ धारा 17(1) (ख) (आठ) ☐ धारा 17(1) (ख) (नौ) ☐ धारा 17(1) (ख) (दस)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी के द्वारा वर्तमान में 10 वर्ष की सेवा से अधिक सेवा दुर्गम स्थानों पर की जा चुकी है। वर्तमान में प्रार्थी के बुजुर्ग माता-पिता जिनकी आयु 80-85 वर्ष हो चुकी है, जनपद-पीड़ी में स्थित, गाँव में अकेले जीवन यापन कर रहे हैं एवं अस्वस्थ रहते हैं उनकी देखभाल एवं माता-पिता के प्रति कर्तव्यों एवं दायित्व को निभाने हेतु नजदीकतम कार्यस्थल पर स्थानान्तरण की आवश्यकता है ताकि राजकीय दायित्वों के साथ ही पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। अतः स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(1) (ख) (छः) के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने की महति कृपा करेंगे।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम-निरंजन सिंह रावत
 पदनाम-सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 
 नाम- एस०एस०रावत
 पदनाम-अधिशारी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यलय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थापना हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परीक्षा कम भे	एस्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार पर (साक्ष्य सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री भारतपाल	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लीडिनिंग मैजरी	मेनीताल/हल्द्वानी	1- निर्माण खण्ड लीडिनिंग रायनगर। 2- प्राचीन खण्ड लीडिनिंग कादपुर। 3- अस्थाई खण्ड लीडिनिंग भवाली। 4- निष्पन्न खण्ड लीडिनिंग मेनीताल। 5- निर्माण खण्ड लीडिनिंग रानीखेत। 6- प्राचीन खण्ड लीडिनिंग रानीखेत। 7- निष्पन्न खण्ड लीडिनिंग हल्द्वानी। 8- राठवा खण्ड लीडिनिंग हल्द्वानी। 9- निर्माण खण्ड लीडिनिंग काशीपुर। 10- निर्माण खण्ड लीडिनिंग अल्मोड़ा।	धारा 17(1)ख (घ)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण (सलगत नैतिकता रिपोर्ट)	मेरी राजकीय सेवा लगभग 19 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। जिसमें से 10 वर्ष की सेवा दुर्घम खण्डों में की गई है। अतः दिशे गये विनियमों में से सुगम खण्ड में करने की गुंथा करें।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

5/5/23

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लीडिनिंग मैजरी।

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)

5/5/23

अभिजातीय अभियन्ता

निर्माण खण्ड लीडिनिंग मैजरी।

हस्ताक्षर (अनुरोध)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यलय का नाम	पूरा सम्पन्न / उपलब्ध का नाम	सम्मानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों की विवेकता क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का कारण (संभवतः संक्षेप)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अनिल कनीजिया	प्रभारी सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 डेरीनाम	सम्पावत	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर स0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा स0 मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत स0 मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट प्रांतीय खण्ड सम्पावत प्रांतीय खण्ड रानीखेत अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थरयूड	17 (1) (ख) (क)	पूरा माताजी को रिलीफिस्ट व एक ऑर्डर में पासूर होने के कारण, जिनके उपचार हेतु हल्द्वानी चिकित्सालय में हर सप्ताह ले जाना पड़ता है व स्वयं का 3 दिसम्बर 2020 को पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी के मीटिंग में जाते समय देवस्थल में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण कमर में चोट लग गई थी जिस हेतु चिकित्सीय परामर्श हेतु समय समय हल्द्वानी चिकित्सालय में जाना पड़ता है।

नोट - कॉलम सं0 7 दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सहम स्तर से निर्गत प्रमाण एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा

९१

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम - अनिल कनीजिया

पदनाम - प्रभारी सहायक अभियन्ता

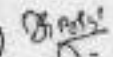
हस्ताक्षर (कार्मिक/अध्यक्ष)

नाम - इ0 एम0सी0 तिवारी

पदनाम - अभियन्ता अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगत सिंह बोरा	सहायक अभियन्ता	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोमेश्वर	पिथौरागढ़/ बैरीनाग	1. प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत 2. प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा 3. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा 4. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत 5. अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बैरीनाग 6. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत 7. प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट 8. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट 9. प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ 10. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	प्राथी के पिता बम्मीर हृदय रोग से पीड़ित है, तथा वर्तमान में पेसनेकर लगा है। (रिपोर्ट संलग्न)	1. प्राथी वरिष्ठ कार्मिक है। (जन्म तिथि- 15.04.1968) 2. प्राथी दुर्गम से दुर्गम में (नियम-17 (1) (ख) (घ) के अन्तर्गत) स्थानान्तरण चाहता है।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम :- जगत सिंह बोरा
 पदनाम :- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)
 नाम :- जयबारादी अभियन्ता
 पदनाम :- खण्ड लो० नि० वि०
 गोमेश्वर

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जन्मपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐंकिज स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा -17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजीव भट्ट	सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० बरीनाग	चम्पावत / पूर्णागिरी	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, खटीमा रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रा०ख० लो०नि०वि० चम्पावत रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत प्रा०ख० लो०नि०वि० रानीखेत निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, मवाली निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, रामनगर	एक्ट की धारा -10 (ख) एक्ट की धारा -17 (1) (ख) (घ);	मेरी दुर्गम क्षेत्र की सेवा सम्पूर्ण सेवा काल में 13 (तेरह) वर्ष से अधिक की हो चुकी है, जिस कारण मैं स्थानान्तरण एक्ट की धारा 10 (ख) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का पात्र होता हूँ। अतः मुझे वरियता क्रम में सुगम क्षेत्र के किसी भी खण्ड में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। वर्तमान में प्रार्थी रिलेफ डिस्क की समस्या से भी ग्रसित है, जिसके उपचार हेतु प्रार्थी को हल्द्वानी जाना पड़ता है। सुगम क्षेत्र में रिक्तियाँ न होने की दशा में अधिनियम की धारा -17 (1) (ख) (घ) के अन्तर्गत वरियता क्रम में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

अस्तु (कार्यालय)
नाम - संजीव भट्ट
पदनाम - सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बरीनाग (निर्माण खण्ड)
पदनाम - अधिशारी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियोजना क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	श्री मुकुंश सकलानी	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	टिहरी/टिहरी	1 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 शम्बा	धारा के नाम के आगे ✓ लगावे	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					2 रा0मा0, खण्ड, घुमागढ़	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	महोदय प्राप्ति की दृष्टि से कुल सेवावधि 15 वर्ष 01 माह हो गयी है तथा प्राप्ति विगत 09 वर्ष से अधिक समय से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर में कार्यरत है। स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार कर्मचारी/अधिकारी किसी खण्ड में 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात स्थानान्तरण हेतु पात्र हो जाता है।	
					3 रा0मा0, खण्ड, गडपनेट	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4 अ0ख0, लो0नि0वि0 चकरता	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6 अ0ख0, लो0नि0वि0 कौर्तेनगर	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 नई टिहरी	✓ धारा 17(1) (ख) (छ)		
					8 अरुणाई खण्ड, लो0नि0वि0 ब्रह्मविश	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9 अरुणाई खण्ड, लो0नि0वि0 बन्सगाँव			
					10 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी			

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम-

पदनाम-

श्री मुकुंश सकलानी
सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- श्री विभोर गुप्ता

पदनाम-प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2 (संसोधित)
खण्ड का नाम-निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।

क्र. सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / सहायक का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दान सिंह	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	पिथौरागढ़ / मंगोलीहाट	1- राष्ट्रीय राजमार्ग, खण्ड इल्हानी। 2- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रानीखेत 3- राष्ट्रीय राजमार्ग-खण्ड लोहाघाट 4- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय इल्हानी। 5- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा।	धारा के नाम के आगे 'टिक' लगावें धारा 17(1) (ख) (एक) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☒ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☒ धारा 17(1) (ख) (चार) ☒ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☒ धारा 17(1) (ख) (आठ) ☒	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण मण्डलीय चिकित्सा परिषद नैनीताल द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र (स्वाप्रमाणित)-संलग्न	'स्लिप डिस्क' / लम्बर स्पॉन्डिलाइटिस की पीड़ादायक बीमारी के कारण पैदल चलने, बार-बार यात्रा करने में अत्यन्त कठिनाई है। नव निर्माण के मोटर मार्गों के कार्यों एवं अन्य भिन्न-भिन्न, अलग-अलग दूरस्थ स्थित कार्यों हेतु बार-बार यात्राएं करने के कारण उक्त समस्या और अधिक गम्भीर हो जाती है तथा उपचार प्रभावित होता है। निवेदन है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण कायम 8 में अंकित खण्ड/कार्यालय में कमानुसार प्राथमिकता के आधार पर करने की कृपा दी जाय।

नोट- कालेन संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-दान सिंह

पदनाम- सहायक अभियन्ता

अधिकृत अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

7/21/21/2023

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 दैनिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुन्दन गिरि गोस्वामी	सहायक अभियन्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा	बगेश्वर / बगेश्वर	1. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा 2. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत 3. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा 4. रा0 म0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत 5. रा0मा0 खण्ड खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी 6. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी 7. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर 8. अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली 9. प्रान्तीय खण्ड खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रपुर 10. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल	धारा के आगे टिक ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण दुर्गम में कुल सेवा 13 वर्ष 8 माह 6 दिन की अवधि पूर्ण	पत्रता सूची के अनुसार दुर्गम में मेरी कुल सेवा 13 वर्ष 8 माह 6 दिन है तथा दुर्गम से सुगम की पत्रता पर 99 वें स्थान पर हूँ। मेरा स्थानान्तरण यदि सुगम में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तो, स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(1) (ख) (छ) के अन्तर्गत दुर्गम से दुर्गम हेतु रिक्ति के सापेक्ष अनुरोध के आधार पर करने की कृपा करें।

नोट :- कालम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार समक्ष में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम :- कुन्दन गिरि गोस्वामी

पदनाम :- सहायक अभियन्ता

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा

Signature by Mr. Prakash
Date: 15-05-2023 14:05:19

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संसार सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	देहरादून/विकासनगर	1- अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर 2- प्रा०ख० लैन्सडौन 3- प्रा०ख० पौड़ी 3- नि०ख० पार्वी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात) प्रस्तुत सक्षमों का विवरण - - - - - प्रार्थी का दुर्गम से दुर्गम हेतु अनुरोध पत्र संलग्न। -		


 (संसार सिंह)
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी


 09/05/23
 (इ० धन सिंह कुटियाल)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मुनेन्द्र राजपूत	सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रा०खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी	हरिद्वार	1.अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० घनसाली, 2. अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर 3. निर्माण खण्ड चम्पा, 4. अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थल्यूड, 5. निर्माण खण्ड लैसडाउन, 6. निर्माण खण्ड चकराता, 7. प्रा०खण्ड लो०नि०वि० नई टिहरी,	धारा के नाम के आगे / लगाये धारा 17(1) (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) धारा 17(1) (ख) (छ) ✓	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

Handwritten signature and date: 1.5.2023

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम— श्री मुनेन्द्र राजपूत

पदनाम— सहायक अभियन्ता (सिविल)

Handwritten signature and date: 01/05/23

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम— इं० रजनीश कुमार,

पदनाम— अधिशासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

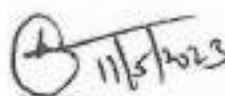
47

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मनोज सिंह पंवार	सहायक अभियंता (सिविल)	श० ग्रा० टपड़, जे० निर्गिक जे० निर्गिक	जनपद-टिहरी तहसील जलपानगा	1) T.D. डेपूड 2) C.D. चम्पा 3) T.D. सीहवा 4) T.D. बरदा 5) T.D. जे० निर्गिक 6) NH बरदा 7) C.D. बरदा 8) C.D. सीहवा 9) NH सीहवा 10) P.D. टिहरी	धारा के नाम के आगे ✓ लगावे ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण वर्तमान के दुगुन कार्यालय के परामर्श से	

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- मनोज सिंह पंवार
पदनाम- सहायक अभियंता


 (निमी सिंह) (अभियंता)
 अधिष्ठाता अभियंता
 कार्यालय
 लोक नभान विमान, देहरादून

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-
पदनाम-

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

[illegible]

नोट-	कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।	स्थान/तारीख
------	--	-------------

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- भुवन चन्द्र

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यान्वयन)

नाम- (एम. बी. २५५१)
 १५५५५५ ५५५५५५

पदनामार्थः चारुं शब्दः, सो० नि० १००

सुखी (देवीका)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	ग्राम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जन्मपत्र/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं०) इरीयता ग्राम में	एन्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						8	9	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	आनन्द गिरी	प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रा०ख०, डीडीहाट	अल्मोड़ा/ रानीखेत	(1) रा०मा०ख०, हल्द्वानी (2) नि०ख०, हल्द्वानी (3) नि०ख०, रानतगर (4) प्रा०ख०, रुद्रपुर (5) नि०ख०, काशीपुर (6) अ०ख०, नवाली (7) रा०मा०ख०, लोहाघाट (8) रा०मा०ख०, घुनाकोट (9) रा०मा०ख०, रानीखेत (10) नि०ख०, अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☒ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात) 	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण सम्बन्धित रिपोर्ट सलग्न। - - - - - - - - -	मरी पत्नी सन् 2007 को किसी न किसी विचारी से प्रसित रही हैं, जिसमें लगभग मियत 03 सालों से पुढे के दर्द से परेशान रहती हैं। इससे पूर्व सन् 2019 में शाग के परदे का आपरेशन, सन् 2007 में किडनी स्टोन, सन् 2005 में ब्रेस्ट सिस्ट का आपरेशन हो चुका है, जिस कारण पत्नी को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है व लगातार दवाईयों का सेवन करना पड़ता है व घरेलू कार्य में परेशानी होती है। इस कारण पत्नी को अक्सर रोना भी हो जाती है, जिस कारण पत्नी को सुरक्षा व सहने की आवश्यकता रहती है।

Pin
28/04/2023

(ई० आनन्द गिरी)
प्रभारी सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

(ई० जम्बदीश प्रसाद)

अधिरासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

E.S.I

28/04/23
28/04/2023



अनुसूच के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्ग	सूचक संख्या/सहायक संख्या	व्यक्तिगत विवरण/वैयक्तिक विवरण	एडमिशन की बात	अन्य बातें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनिल कुमार	प्रभारी सहायक संचालक	ग्राम एंड लोकल डीपार्ट	हरिद्वार रुड़की	1- अ.अ. नौकर 2- ग्राम एंड लोकल डीपार्ट 3- रा.अ. नौकर 4- रा.अ. नौकर 5- रा.अ. नौकर 6- ग्राम एंड लोकल डीपार्ट 7- ग्राम एंड लोकल डीपार्ट 8- ग्राम एंड लोकल डीपार्ट	☒ एडमिशन की बात ☐ एडमिशन की बात ☐ एडमिशन की बात ☐ एडमिशन की बात ☐ एडमिशन की बात ☒ एडमिशन की बात ☐ एडमिशन की बात	प्रस्तुत आवेदन का विवरण

नोट:- कोलम संख्या-07 में दर्शाए गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वयंसेवक अभियान के तहत करना अनिवार्य होगा, सभी एडमिशन की बात के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम- अनिल कुमार
 पदनाम- प्रभारी सहायक संचालक

हस्ताक्षर (कार्यालयीय) 
 नाम- (अनिल कुमार)
 पदनाम- E.E.

19/05/23 (4.42)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2 (संशोधित)

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक की धारा (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	ई० सीताराम डोभाल	सहायक अभियन्ता	नि०ख०, लो०नि०वि०, पावौ	देहरादून / चकराता	रा०रा०मार्ग खण्ड बडकोट	धारा 17(1)(ख) (छ)	प्रार्थना पत्र सलग्न।
1					नि०ख०लो०नि०वि०, बडकोट		
2					नि०ख०लो०नि०वि०, पुरौला		
3					अ०ख०, लो०नि०वि०, साहिया		
4					अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि० थत्वूड		
5					प्रा०ख०लो०नि०वि०, उत्तरकाशी		
6					अ०ख०, लो०नि०वि० कीर्तिनगर		
7					नि०ख०लो०नि०वि०, देहरादून		
8					प्रा०ख०लो०नि०वि०, देहरादून		
9					अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश		
10					नि०ख० नरेंद्रनगर		

नोट- महोदय अवगत कराना है कि मैं दि० 01.07.2014 से आजतिथि तक 8 वर्ष 10 माह की सेवा इस खण्ड में लगातार दे रहा हूँ जोकि दुर्गम में है। इस प्रकार दुर्गम की कुल अवधि लगभग 11 वर्ष एक ही खण्ड में पूर्ण हो गये हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी दो बार स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन दिये गये थे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही न होने के कारण मैं पुनः अनुरोध के आधार पर प्रत्यावेदन इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं एक ही खण्ड में लगातार लगभग 8 वर्ष 10 माह की लम्बी सेवा अवधि होने के कारण मेरा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण प्रारूप में दिये गये किसी भी खण्ड में करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

अनुरोध प्रार्थना एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० दे०
महोदय, श्री सीताराम डोभाल सहायक अभियन्ता का अनुरोध के
आधार पर प्रत्यावेदन इस रूप में संस्तुति सहित अधिसूचित।

गोपेसासी अभियन्ता
प्रमाण खण्ड लो०नि०वि०
पावौ
9/5/23

19/05/23
(सीताराम डोभाल)
सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०, पावौ

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय:- अनुरोध के आधार स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।
महोदय,

मैं दिनांक 15.05.2021 को कोविड-19 से संक्रमण के कारण दिनांक 18.05.2021 से 17.06.2021 तक आईसीसी ऑक्सिजन सर्पट पर रहा, तदुपरांत डॉ० की सलाह पर दिनांक 18.06.2021 से 30.11.2021 तक घर में ऑक्सिजन सर्पट उपचार किया गया। Lungs में अत्यधिक Infection होने के कारण Lungs का कुछ भाग हमेशा के लिए Damage हो गया। जिसके फलस्वरूप अत्यधिक उँघाई एवं पहाड़ में चढ़ाई चढ़ने पर सांस फूलना एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या होने के कारण चिकित्सा उपचार हेतु देहरादून आना जाना पड़ता है। देहरादून से पावौ की दूरी लगभग 180 किमी० एकतरफ पड़ती है। अत्यधिक दूर होने के कारण चिकित्सा उपचार हेतु देहरादून आने-जाने में शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व में भी मेरे द्वारा अपने पत्र सं० शून्य दि० 04.04.2022 के द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था एवं शून्य दि० 18.03.2023 के द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था। उक्त दोनों प्रत्यावेदनों पर कोई कार्यवाही न होने के कारण पुनः अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन सादर प्रेषित।

महोदय अवगत कराना है कि मुझे वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड ईंडर आवंटित होने के पश्चात दि० 01.07.2014 से आजतिथि तक 8 वर्ष 10 माह की सेवा इस खण्ड में लगातार दे रहा हूँ जोकि दुर्गम में है। इस प्रकार दुर्गम की कुल अवधि लगभग 11 वर्ष एक ही खण्ड में पूर्ण हो गये हैं। मेरे द्वारा उपरोक्त दिये गये स्थानान्तरण प्रत्यावेदनों पर कोई कार्यवाही न होने के कारण मैं पुनः अनुरोध के आधार हेतु प्रत्यावेदन इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं एक ही खण्ड में लगातार लगभग 8 वर्ष 10 माह की लम्बी सेवा अवधि होने के कारण मेरा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण प्रारूप में दिये गये किसी भी खण्ड में करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा। धन्यवाद।

सलग्नक:- अनुरोध के आधार स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।


17/11/23

(इं० सीताराम डोनाल)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पावौ

प्रतिलिपि :- प्रान्तीय अध्यक्ष डिप्लोमा इन्जिनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(इं० सीताराम डोनाल)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पावौ

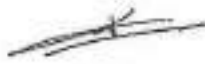
अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

अनुसूचि के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है। के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
1	जितेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट (उत्तरप्रदेशी)	हरिद्वार	<table><tr><td>1</td><td>रा०मा०खण्ड, कोईवाला</td><td>☐ धारा 17(1) (ख)(एक)</td></tr><tr><td>2</td><td>रा०मा०खण्ड, देहरादून</td><td>☐ धारा 17(1) (ख)(दो)</td></tr><tr><td>3</td><td>नि०ख०, देहरादून</td><td>☐ धारा 17(1) (ख)(तीन)</td></tr><tr><td>4</td><td>प्रा०ख०, देहरादून</td><td>☐ धारा 17(1) (ख)(चार)</td></tr><tr><td>5</td><td>अ०ख०, जलिकेश</td><td>☒ धारा 17(1) (ख)(पांच)</td></tr><tr><td>6</td><td>अ०ख०, सहिया</td><td>☒ धारा 17(1) (ख)(छ)</td></tr><tr><td>7</td><td>नि०ख०, चम्पा</td><td>☐ धारा 17(1) (ख)(सात)</td></tr><tr><td>8</td><td>नि०ख०, नरेन्द्रनगर</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>नि०ख०, दुगडडा</td><td></td></tr></table>	1	रा०मा०खण्ड, कोईवाला	☐ धारा 17(1) (ख)(एक)	2	रा०मा०खण्ड, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(दो)	3	नि०ख०, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(तीन)	4	प्रा०ख०, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(चार)	5	अ०ख०, जलिकेश	☒ धारा 17(1) (ख)(पांच)	6	अ०ख०, सहिया	☒ धारा 17(1) (ख)(छ)	7	नि०ख०, चम्पा	☐ धारा 17(1) (ख)(सात)	8	नि०ख०, नरेन्द्रनगर		9	नि०ख०, दुगडडा		प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राप्ती की आयु 65 वर्ष हो रही है तथा पूर्ण खण्डों में लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्राप्ती के अनुरोध के आधार पर उक्त खण्डों में से किता एक खण्ड में स्थानान्तरण करने का कृपा करें, यदि सुमम में सम्भव न हो पाये तो दुर्जन क्षेत्र के अ०ख० सहिया में स्थानान्तरण करने का महान कृपा करें।
1	रा०मा०खण्ड, कोईवाला	☐ धारा 17(1) (ख)(एक)																																
2	रा०मा०खण्ड, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(दो)																																
3	नि०ख०, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(तीन)																																
4	प्रा०ख०, देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख)(चार)																																
5	अ०ख०, जलिकेश	☒ धारा 17(1) (ख)(पांच)																																
6	अ०ख०, सहिया	☒ धारा 17(1) (ख)(छ)																																
7	नि०ख०, चम्पा	☐ धारा 17(1) (ख)(सात)																																
8	नि०ख०, नरेन्द्रनगर																																	
9	नि०ख०, दुगडडा																																	

नोट- कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)



नाम- जितेन्द्र कुमार
पदनाम- सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)



नाम- जितेन्द्र कुमार
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री महक सिंह सेनी	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर गडवाल	हरिद्वार/रूडकी	1 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 लेन्सडान	धारा क नाम क आगे ✓ लगाय	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					2 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रूडकी	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					3 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4 प्रभात खण्ड, लो0नि0वि0 अधिकारी	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूडकी (देहरादून)	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 दुमकाड़ा	✓ धारा 17(1) (ख) (छ)		
					8 प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 लेन्सडान	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 घन्ना			
					10 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 नई दिल्ली			

सहायक अभियन्ता

नाम-

पदनाम-

सहायक अभियन्ता

अ

हस्ताक्षर (कार्यालयमार्फत)

नाम- श्री विहार गुप्ता

पदनाम-प्रभारी अभियंता अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु एचयूक स्थान (10 नं०) परीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	7	6		8
1	तारा सिंह	सहायक अभियन्ता	प्रान्तिय डीडीहाट	नैनीताल/ हठहानी	(1) रा0ना0ख0, रानीखेत	धारा के नाम के आगे ✓ लगावे	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					(2) प्रा0ख0, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	-	सावर अवस्था फरमाना है अजोधस्ताधरी प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट में विगत 1.50 वर्ष से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। मेरी पत्नी इमारे 10 वर्षीय पुत्र, 14 वर्षीय पुत्री एवं 72 वर्षीय माता जी के साथ हठहानी में रहती हैं। वध्वी व माता जी जो अधिकांशतः बीमार रहती हैं, के देखभाल की जिम्मेवारी पत्नी पर ही है। महोदय, मेरी पत्नी लगभग विगत 12 साल से कमर दर्द (दिलय डिस्क) की समस्या से परेशान है, जिस कारण उन्हें लगातार दवाइयों का सेवन करना पड़ता है एवं चलने-फिरने व घरेलू कार्य में परेशानी होती है। महोदय, मेरी पत्नी की शारीरिक दिनचर्या के कारण अत्यधिक परेशान रहती हैं तथा कभी-कभी अमत्साय ग्रसित हो जाती हैं। इस परिस्थितियों में मेरे परिवार की सुरक्षा एवं सहारे की निरन्तर आवश्यकता है। यदि मेरा स्थानान्तरण हठहानी को निकटवर्ती लोक निर्माण विभाग के किसी कार्यालय में हो जाता है तो मैं अपने राजकीय बाधियों को साथ-साथ अपने परिवार को ज्वित देखभाल कर सकूंगा। अतः प्राप्ति का स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में दी गयी शर्तों के आधार पर करने हेतु आवेदन किया जा रहा है।
					(3) रा0ना0ख0, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	-	
					(4) रा0ना0ख0, घुमरफाट	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	-	
					(5) नि0ख0, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	-	
					(6) प्रा0ख0, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)	-	
					(7) नि0ख0, रानीखेत	☒ धारा 17(1) (ख) (छ)	-	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	-	

(हो तारा सिंह)
सहायक अभियन्ता
रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

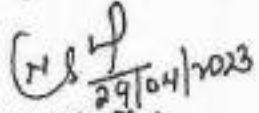
(हो जगदीश प्रसाद)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तिय, लो0नि0वि0 डीडीहाट



अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निककी बाला	सहायक अभियन्ता	12वां वृत्त लो०नि०वि०, पीड़ी	पीड़ी/पीड़ी	रा०मा०खण्ड श्रीनगर अ०ख०कीर्तिनगर रा०मा०खण्ड रुद्रप्रयाग प्रा०ख०लैन्सडीन नि०ख०पावौ प्रा०ख०रुद्रप्रयाग प्रा०ख०पीड़ी	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें ☐ धारा 17(1)(ख)(एक) ☐ धारा 17(1)(ख)(दो) ☐ धारा 17(1)(ख)(तीन) ☐ धारा 17(1)(ख)(चार) ☐ धारा 17(1)(ख)(पांच) ☒ धारा 17(1)(ख)(छः) ☐ धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु

नोट:-कालम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।



 हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम - इं० निककी बाला
 पदनाम - सहायक अभियन्ता


 हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
 नाम - इं० पी०एस०बृजवाल
 पदनाम - अधीक्षण अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान का नाम	गृह जनपद/सहस्रील का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 दिवसीय स्थान परिवर्तन कम में	एक ही धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	दिशायी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरफराज आलम	सहायक अभियन्ता	प्रा.स.क. लोहगढ विमान डेपोजिट	सितावांज	① NH Lohaghat ② NH Ranikhet ③ NH dharmaket ④ Pd Ranikhet ⑤ eD Almora ⑥ Pd bageshwar ⑦ eD Lohaghat ⑧ Pd Almora ⑨ Ist circle Almora ⑩ ---	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	मेरे हाक वर्तमान रखे में कि 20 Dec 2016 में योगदान दिया गया, मिलको 6 वर्ष ले अधिक का समय दोर का है, एक ही रखने में इतनी जमीनी जलमि ले कार्य करने के कारण बर्क करान में कठिनाई का जमान करवा पड़ रहा है, हमानान्तर्गत हेतु मेरे हाक के पूर्व के भी अनुलेय किया गया है। इन्तर्गत अतिरिक्त वर्तमान में रखने में दो सहायक अभियन्ता भी अभियन्ता है

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सहम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- सरफराज आलम

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-

पदनाम-



OK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया जा रहा है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इं. मयंक तिवारी	सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. कर्णप्रयाग।	मैनीताल / रामनगर	1- प्रा.ख., लो.नि.वि., रानीखेत। 2- नि.ख., लो.नि.वि., रानीखेत। 3- रा.मा.ख., लो.नि.वि., धूमाकोट।	धारा 17 1 (ख) (छ) के अनुसार	अनुरोध के आधार पर।	दुर्गम से दुर्गम

नोट:- कॉलम संख्या 7 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- इं. मयंक तिवारी

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- इं. सुदर्शन सिंह रावत

पदनाम- सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग (वर्तमान)

DR

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राधिका भट्ट	सहायक अभियन्ता	प्रांतीय खण्ड, लोन्गिबि, अल्मोड़ा।	उधनसिंहनगर	केन्द्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत सक्षमों का विवरण	प्राथिनी वर्तमान में गर्भवती होने के कारण चिकित्सा द्वारा यात्रा न करने की सलाह दी गई है। अतः मेरा स्थानान्तरण खण्ड स्तर से उल्लेखित ऐच्छिक स्थानों में से किसी एक स्थान में करने की कृपा करें।
					प्रथम वृत्त, लोन्गिबि, अल्मोड़ा।	धारा 17 (1) (ख) (एक)	प्राथिनी की नियुक्ति वर्ष 2016 से प्रांतीय खण्ड, लोन्गिबि, अल्मोड़ा में है जो कि दुर्गम क्षेत्र में है।	
						धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						✓ धारा 17 (1) (ख) (छ)		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम- राधिका भट्ट

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम- डॉ. इन्दु जैत सिंह

पदनाम- अधिशासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 श्रेष्ठिक स्थान वरीयता क्रम में	एक की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पणी।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री गौरव वर्मा कर्मचारी कोड- 010097230	प्रभारी सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 धराली, घमोली	ऊधम सिंह नगर/काशीपुर	धारा के नाम के आगे(सही) लगाये	धारा 17(1) (ख) (छः)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की नियुक्ति प्रार्थी के निवास स्थान (देहरादून) से लगभग 250.00 किमी० दूर है, प्रार्थी की पुत्रिया देहरादून में अध्ययनरत है तथा प्रार्थी की वृद्ध माताजी जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष है प्रार्थी के साथ ही निवास करती है, जिनका उपचार भी देहरादून से ही चल रहा है, अतः राजकीय दायित्वों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रार्थी का स्थानान्तरण कालेस छः में उल्लिखित खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें।
					1- रा0मा0ख0 श्रीनगर			
					2- रा0मा0ख0 धूमाकोट			
					3- रा0मा0ख0 बड़कोट			
					4- रा0मा0ख0 रुद्रप्रयाग			
					5- नि0ख0 कीर्तिनगर			
					6- प्रा0ख0 पौड़ी			
					7- नि0ख0 पौड़ी			
					8- नि0ख0 बड़कोट			
					9- प्रा0 ख0 लैन्सडाउन			
					10 नि0ख0 पार्बी			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- En Gaurav Verma

AE, CD, PWD

Theradi (Chameli)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम-

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0

आपका नाम

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसिली का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान यरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
					धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
इ. आदित्यनाथ ठाकुर	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैण	मधुबनी / राज नगर (बिहार)	1-अस्थाई खण्ड चकराता 2- राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट	धारा 17 (1) (ख) (एक)	माता जी का डा0 लाल पेथ लैब द्वारा जारी की गयी डायबीटीज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एवं प्रार्थी के स्वयं का जे0पी0 हॉस्पिटल के डाक्टर द्वारा, सफेद दाग के ईलाज की रिपोर्ट।	प्रार्थी के पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त माता जी का पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी पर, एवं माता जी स्टेज 4 डायबीटीज की समस्या से जूझ रही है एवं प्रार्थी स्वयं सफेद दाग से जूझ रहा है, जिसमें हर सप्ताह आल्ट्रावाइलेट बी रेंज की थेरेपी ली जानी है, जिस कारण देहरादून/रामनगर के नजदीक स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
					धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
					धारा 17 (1) (ख) (छ)		
					धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट:- कॉलेज संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम- आदित्य नाथ ठाकुर
पदनाम- सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गैरसैण (बनोही)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- Er Sumi Kumar
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0
गैरसैण (बनोही)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक की छार जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृष्ण कुमार	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लोहनिविडा, पोखरी	राष्ट्रियगन्ज (झरखण्ड)	1-अठखण्ड,लोहनिविडा, कोठिनगर 2-अठखण्ड,लोहनिविडा, चक्रवाता, 3-तठमाड,लोहनिविडा, श्रीनगर, 4-अठखण्ड,लोहनिविडा, सडिका, 5-अठखण्ड,लोहनिविडा, भायूज, 6-निठखण्ड,लोहनिविडा, तम्बा, 7-प्रठखण्ड,लोहनिविडा, टिहरी, 8-निठखण्ड,लोहनिविडा,श्रीनगर।	छार के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17 (1) (ख) (छ) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राचीं महाकाल अभियन्ता के पद पर वर्ष 12/2016 से नियुक्त अठखण्ड,लोहनिविडा, पोखरी (दुर्लभ क्षेत्र) में कार्यरत है। वर्तमान में प्राचीं स्तिथ किस्म से पीडित है, जिसका इलाज करना समय-समय पर श्री महेश इन्देश अस्पताल, देहरादून जाना पड़ता है, तथा चिकित्सक के द्वारा लम्बी लम्बी यात्रा करनी करने का परामर्श दिया है। प्राचीं को समय-समय पर दर्द से तहत हेतु फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, किन्तु पोखरी बलाक दुरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र होने के फलस्वरूप फिजियोथेरेपी की सुविधा न होने के कारण प्राचीं को अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में प्राचीं की पत्नी गर्भवती है, एवं पोखरी तहसील अति दुर्गम क्षेत्र होने के फलस्वरूप उचित स्वास्थ्य सेवाये न उपलब्ध होने के कारण प्राचीं की पत्नी देहरादून में अकेले निवासरत है। अतः उक्त परिस्थिति को देखते हुये अनुरोध के आधार पर प्राचीं का स्थानान्तरण कॉलम 6 में उल्लेखित किसी भी एक ऐच्छिक स्थान पर करने की कृपा करने ताकि प्राचीं को फिजियोथेरेपी कराने हेतु ज्यादा लम्बी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी एवं प्राचीं अपनी पत्नी को गर्भवस्था के दौरान साथ में रख सके।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम - श्रुत कृष्ण कुमार

पदनाम - सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयप्रमुख)

नाम - श्रुत संजय प्रसाद सिन्हा

पदनाम - अधिशासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 न०) वरीयता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उमेश धारिया	प्र० सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो०नि० वि० अस्कोट।	बेहराबून / बेहराबून सदर	अ०ख० कीर्तीनगर	☐ धारा 17 (1)ख (एक)		इस खण्ड से मेरे घर की दूरी 600 किमी० से अधिक है, जिसमें दो दिन का समय जाने में लग जाता है। जिससे परिवार की अनुचित देख-भाल नहीं हो पा रही है एवं स्वयं के स्वास्थ्य की जांच भी समय से नहीं करा पा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा कुमार्क क्षेत्र से गढ़वाल क्षेत्र में दुर्गम से दुर्गम धारा 17 (1) ख (छ) में करने की कृपा करें।
					रा०मा० खण्ड श्रीनगर	☐ धारा 17 (1)ख (दो)		
					रा०मा० खण्ड बड़कोट	☐ धारा 17 (1)ख (तीन)		
					नि०ख० बड़कोट	☐ धारा 17 (1)ख (चार)		
					प्रा०ख० उत्तरकारी	☐ धारा 17 (1)ख (पाँच)		
					रा०मा० खण्ड रुद्रप्रयाग	☒ धारा 17 (1)ख (छ)		
					प्रा०ख० रुद्रप्रयाग	☐ धारा 17 (1)ख (सात)		
					प्रा०ख० कर्णप्रयाग			
					प्रा०ख० पौड़ी			
					नि०ख० पोखरी			

हस्ताक्षर कार्मिक

Umesh
(उमेश धारिया)

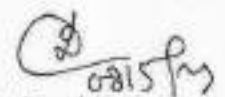
प्र० सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट

Sanjay
(श० संजीव राठी)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ड० मनोज कुमार जैन	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख०, लो०नि०वि० पौड़ी	हरिद्वार/रूड़की	1. नि०ख०, चम्बा 2. प्रा०ख०, टिहरी 3. अ०ख०, सहिया 4. रा०म० खण्ड, श्रीनगर 5. अ०ख०, कीर्तिनगर	धारा के आगे ✓ लगायें ☐ धारा 17 (i) ख (एक) ☐ धारा 17 (i) ख (बि) ☐ धारा 17 (i) ख (तीन) ☐ धारा 17 (i) ख (चार) ☐ धारा 17 (i) ख (पांच) ☒ धारा 17 (i) ख (छ) ☐ धारा 17 (i) ख (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण कल्याण HRMS Portal से किया जा सकता है।	प्रार्थी धारा 3 (ख) का पात्र है, जिस कारण धारा 13 की उपधारा 8 के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण एवं उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रा०ख०, पौड़ी में पांच वर्ष का कार्यकाल होने के कारण ऐच्छिक क्षेत्र में एवं धारा 10 (ख) पूर्ण होने के कारण सुगम/दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण का पात्र है। यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के पिता की आयु 79 वर्ष एवं माता की आयु 77 वर्ष है, जो कि अक्सर बीमार रहते हैं एवं रूड़की में निवासरत हैं। जिनकी देखभाल का दायित्व भी प्रार्थी का है, परन्तु रूड़की से काफी दूर पदस्थापित होने के कारण प्रार्थी अपने पुत्र माता पिता की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं भी हाई बी०पी०, शुगर, कंटी लिवर व गाल ब्लेडर स्टोन, प्रोस्टेट से पीड़ित है एवं प्रार्थी की पत्नी भी हाई बी०पी०, शुगर एवं कॉलेस्ट्रॉल से पीड़ित है। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी का उपचार रूड़की से चल रहा है। यदि प्रार्थी का स्थानान्तरण रूड़की के नजदीक सुगम/दुर्गम क्षेत्र में होता है, तो प्रार्थी को अपने माता पिता की देखभाल एवं अपना व पत्नी का उपचार ठीक ढंग से करने में सुगमता होगी। इसके लिये प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार स्थानान्तरण समिति का सदैव आभारी रहेगा।


 14/05/23
 (ड० मनोज कुमार जैन)
 सहायक अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि० पौड़ी


 08/5/23
 (ड० डी०सी० नोटियाल)
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि० पौड़ी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जन्मान काखतलका का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छित स्थान (10 नं०) परीक्षा क्रम में	एवं की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	7	6		8
1	मनीष नाथ	प्रमारी सहायक अभियन्ता	प्रमारी, डीडीहाट	मनीषल/मालादुंगी	(1) राउतगंज, धुनाकोट	धारा की नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	-
					(2) राउतगंज, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	-	-
					(3) प्रमारी, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	-	-
					(4) प्रमारी, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	-	-
					(5) निरंज, रानीखेत	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	-	-
					(6) राउतगंज, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)	-	-
					(7) प्रमारी, बानसपुर	☒ धारा 17(1) (ख) (छ)	-	-
					(8) निरंज, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	-	-
					(9) निरंज, लोहाघाट		-	-
					(10) प्रथम वृत्त, अल्मोड़ा		-	-


 (ई० मनीष नाथ)
 प्रमारी सहायक अभियन्ता
 प्रमारी, लोहाघाट डीडीहाट




 (ई० ज्योती प्रसाद)
 अधिसूचना अभियन्ता
 प्रमारी, लोहाघाट डीडीहाट


 J.P.D.

 28/4/23

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पूरा जन्मदिन / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं०) बरीबतों कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुल्हा वालिया	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट।	हरिद्वार / रुड़की	रा० मा० श्रीनगर	धारा 17 (1)ख (एक)	माता जी की कॉर्निया ट्रांसप्लांट एवं दृष्टि दोष (अन्वेषण) के ईलाज से सम्बन्धित मेडिकल पेपर्स	मेरे माता-पिता की आयु लगभग 75 वर्ष से ऊपर है। मेरे पिताजी को हृदय की गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उनकी बाई पास सर्जरी हो रखी है। विगत वर्ष कोरोना हो जाने के कारण वो त्रिभुवन एम्स में कई दिनों तक भर्ती रहे व उनकी हृदय की घननियों सिकुड़ चुकी है एवं उनका हृदय 25-30 प्रतिशत ही कार्य करता है। मेरी माता जी को दृष्टि दोष होने के कारण पूर्ण रूप से दिखाई देना बन्द हो चुका है, उनकी दोनों आँखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराई जा चुकी है। वर्तमान में उनका ईलाज बीघरी आई 7 हॉस्पिटल दिल्ली एवं पी०जी०आई० घण्डीगढ़ में चल रहा है। वर्तमान में मेरे माता-पिता दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, जो कि अस्कोट खण्ड में कार्य करते हुये सम्भव नहीं हो पा रहा है। लो०नि०वि० अस्कोट खण्ड से मेरे निवास स्थान की दूरी लगभग 600 किमी० है। इस कारण मैं अपने राजकीय कार्यों एवं पारिवारिक कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ। अतः निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत कॉलम 8 में दिये गये किसी भी दुर्गम खण्ड में करने की कृपा करें जिससे कि मैं अपने राजकीय दायित्वों के साथ-साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का भी पालन सही प्रकार से कर सकूँ।
					रा० मा० रुद्रप्रयाग	धारा 17 (1)ख (दो)	पिताजी की बाईपास सर्जरी से सम्बन्धित मेडिकल पेपर्स	
					अस्वाइ खण्ड कोठिनगर	धारा 17 (1)ख (तीन)		
					अस्वाइ खण्ड चकसता	धारा 17 (1)ख (चार)		
					रा० मा० बड़कोट	धारा 17 (1)ख (पाँच)		
					रा० मा० घुन्नाकोट	✓ धारा 17 (1)ख (छ)		
					प्रा० खण्ड पौड़ी	धारा 17 (1)ख (सात)		
					प्रा० खण्ड रुद्रप्रयाग			
					निर्माण खण्ड पोखरी			
					निर्माण खण्ड पौड़ी			

(ई० अनुल्हा वालिया)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट

आवेदन अभिलेखित

(ई० संजीव राठी)

अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

[illegible]

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

छस्ताक्षर (कगर्निक)

TR 113

नाम:- ३० पुर्नित्त रानी ।

पदनाम-सहायिक अभियन्ता

22

हस्तकर्मसु (विनिर्माणकर्मसु) न्या

प्राप्तिय सप्तक. ला. ११७७७७७७

नाम-डॉ. सुभाषी जी. विहारी।

परनाम-अभिशास्त्री अभिनयन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान तयित क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री वेदपाल सिंह पवार	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मद्रपाल	हरिद्वार/रूडकी	1 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रूडकी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत सच्यों का विवरण	
					2 प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 हरिद्वार	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					3 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 हाथिकेश	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रूडकी (देहरादून)	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6 प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7 प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडोन	✓ धारा 17(1) (ख) (छ)		
					8 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 चम्पा	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 साहेवा			
					10 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 दुगड्डा			

6X

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-

पदनाम-

श्री वेदपाल सिंह पवार

सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्वांलप्राप्य)

नाम- श्री विमोद गुप्ता

पदनाम-प्रभारी अधिरासी अभियन्ता

2
09/05/2023

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वसियता क्रम में	एक ही घारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		दिखायी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मन्दी काम्बोज	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लोअनिविड श्रीनगर गढ़वाल	उपनिहिनगर/काजपुर	1 शोभा खण्ड बडकनेट 2 शोभा खण्ड घुमाकनेट 3 शोभा खण्ड श्रीनगर 4 अशोभा, लोअनिविड चकराता 5 अशोभा खण्ड लोअनिविड बालुड 6 अशोभा खण्ड लोअनिविड सांहेवा 7 निर्माण खण्ड लोअनिविड कडकी 8 प्रान्तीय खण्ड लोअनिविड हरिद्वार 9 अशोभा खण्ड लोअनिविड बालिकेश 10 अशोभा लोअनिविड कीर्तिनगर	घारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ घारा 17(1) (ख) (एक) ☐ घारा 17(1) (ख) (दो) ☐ घारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ घारा 17(1) (ख) (चार) ☐ घारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ घारा 17(1) (ख) (छ) ☐ घारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत सहाय का विवरण	

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम-

पदनाम-

श्री मन्दी काम्बोज

सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (अनुमोदक)

नाम- श्री विमल गुप्त

पदनाम-प्रभारी अभियन्ता अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐधिक सीन वरीयता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा का नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हेम चन्द्र जोशी	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, तस्कर	अल्मोडा / सोमेश्वर	1. प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोडा 2. निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोडा 3. निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत 4. राणरा० खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत 5. प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, बानेश्वर 6. अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, नयाली	धारा 17(1)(ख)(साठ)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध	बड़ोदर से निर्देश है कि नी गाछ-पिटा पांव में अड़ेलें रहते हैं जोकि अचानक दूध होने से कारण उनकी रोक-रोक करने जाता कोई नहीं है, वर्तमान खण्ड से अचानक दूरी होने से कारण शर्षी की बाए-2 पर घाते में अचानक रहती है जिससे राजकीय कार्पा या भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः शर्षी का स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध से आधार पर किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें।

नोट— कौलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सलग स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्राप्ति संलग्न करना अनिवार्य होगा, वही एक्ट की धारा के अन्तर्गत तत्प दिना या संकेत।

हस्ताक्षर (कर्मिष्ठ)


(हेमचन्द्र जोशी)
सहायक अभियन्ता

लो०खण०लो०नि०वि०, तस्कर

हस्ताक्षर (कार्यालय)


(आ०नि०वि०)
अधिराशी अभियन्ता
लो०खण०लो०नि०वि०, तस्कर

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पूरा जन्मपद/ वर्तमान का नाम	10 ईच्छिक स्थान वरियता कम में	एस्ट की धारा 17 (b) के अनुसार अनुरोध का आधार (सामर्थ्य सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रदी प्रसाद	सहायक अभियन्ता	प्रांतीय छप्प, लो०नि०वि०, नोपेरवर	पीछा गढ़वाल / श्रीनगर	1. प्रांतीय छप्प, लो०नि०वि०, देहरादून 2. निर्माण छप्प, लो०नि०वि०, देहरादून 3. अस्थाई छप्प, लो०नि०वि०, ऋषिकेश 4. निर्माण छप्प, लो०नि०वि०, नरेंद्रनगर 5. निर्माण छप्प, लो०नि०वि०, दुमका 6. अस्थाई छप्प, लो०नि०वि०, कोटिनगर 7. निर्माण छप्प, लो०नि०वि०, इटहरी 8. राष्ट्रीय राजमार्ग छप्प, लो०नि०वि०, डोईवाला 9. प्रांतीय छप्प, लो०नि०वि०, हरिद्वार 10. राष्ट्रीय राजमार्ग छप्प, लो०नि०वि०, देहरादून	प्रार्थी के पुत्र माता-पिता गम्भीर विधारियों से ग्रस्त हैं, जिनका नियमित रूप से उपचार/परीक्षण देहरादून में करना पड़ता है, किन्तु दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण मैं नियमित रूप से उनका उपचार कराने में असमर्थ हूँ, जिस कारण मेरे माता-पिता अत्यधिक मानसिक परेशानी में हैं।	सम्पूर्ण सेवाकाल 19 वर्ष में से 18 वर्षों की सेवा दुर्गम क्षेत्र में की गयी है। वर्तमान में सुगम क्षेत्र में त्रानान्तरण हेतु पात्र हूँ।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :- रदी प्रसाद

पदनाम :- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयका)

नाम :- EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

6:18 pm (15/04/2023)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कमल मिश्र	सहायक अभियन्ता (सिविल)	अस्थायी खण्ड लोकनिर्माण विभाग, चम्पा, खण्ड, लोकनिर्माण, देहरादून	पैदी / तहसील पैदी	1. रा. मा. खण्ड डी. जाला 2. रा. मा. खण्ड देहरादून 3. प्रा. खण्ड देहरादून 4. प्रा. खण्ड धरिद्वार 5. प्रा. मा. मुख्य अभि. देहरादून 6. रा. मा. खण्ड वाफोट 7. रा. मा. खण्ड रुद्रप्रयाग 8. रा. मा. खण्ड श्रीनगर 9. क्वलिटि कन्ट्रोल खण्ड प्रमुख अभि. कार्यलय देहरादून 10. अ. खण्ड अभि. वि. वा	☒ धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	उपरोक्त में 10 वर्ष से अधिक सेवा

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)  15/05/2023

नाम- कमल मिश्र अभियन्ता
पदनाम- सहायक अभियन्ता
अ. ख. लोकनिर्माण विभाग-चम्पा
खण्ड- प्रा. मा. मुख्य अभि. वि. वा देहरादून

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- जितेंद्र कुमार बिपारी
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
प्रा. मा. खण्ड लोकनिर्माण विभाग, देहरादून


15.5.2023
Executive Engineer
Provincial Division
W.D., Dehradun

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजीव भट्ट	सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० बेरीनाम	चम्पावत / पूर्णागिरी	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी रा०ना० खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, खंटीमा रा०ना० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रा०ख० लो०नि०वि० चम्पावत रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत प्रा०ख० लो०नि०वि० रानीखेत निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० भवाली निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, रामनगर	एक्ट की धारा -10 (ख) एक्ट की धारा -17 (1) (ख) (घ):	मेरी दुर्गम क्षेत्र की सेवा सम्पूर्ण सेवा काल में 13 (तेरह) वर्ष से अधिक की हो चुकी है, जिस कारण मैं स्थानान्तरण एक्ट की धारा 10 (ख) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का पात्र होता हूँ। अतः मुझे वरियता क्रम में सुगम क्षेत्र के किसी भी खण्ड में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। वर्तमान में प्रार्थी स्लिप डिस्क की समस्या से भी ग्रसित हैं, जिसके उपचार हेतु प्रार्थी को हल्द्वानी जाना पड़ता है। सुगम क्षेत्र में शिक्षित न होने की दशा में अधिनियम की धारा -17 (1) (ख) (घ): के अन्तर्गत वरियता क्रम में दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम - संजीव भट्ट
पदनाम - सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (अधिरासी अभियन्ता)
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाम (अधिरासी अभियन्ता)
पदनाम - अधिरासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 02

क्र०स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसार अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विरेन्द्र सिंह चौहान,	सहायक अभियंता (प्रभारी)	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	टिहरी गढ़वाल / नरेंद्र नगर	रा०रा० मार्ग खण्ड, देहरादून	धारा 10 (ख)		दुर्गम की सेवा 15 साल 4 माह से अधिक।
					अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	धारा 10 (ख)		
					रा०रा० मार्ग खण्ड, डोईवाला	धारा 10 (ख)		
					नि०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।	धारा 10 (ख)		
					प्रा०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून	धारा 10 (ख)		
					पी०आई०यू० स्मार्ट सिटी देहरादून।	धारा 10 (ख)		
					रा०रा० मार्ग खण्ड, धुमाकोट			
					अ०ख०, लो०नि०वि०, धनकुंड।			
					नि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पा।			
					अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया।			

Signature
10/05/23

नाम - विरेन्द्र सिंह चौहान,
पदनाम सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

Signature

नाम - इं० रजनीश कुमार
पदनाम - अधिशासी अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी

अनुरोध के आधार पर आवदन करने का प्रारूप-1

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम/पद नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक सीन करियता क्रम में	एक्ट बी धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20088888980	श्री सचिन अशोक सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर।	डोईवाला, देहरादून	1 रा०रा०ख०,लो०नि०वि० रुड़की 2 रा०रा०ख०,लो०नि०वि० डोईवाला 3 नि०ख०,लो०नि०वि० रुड़की 4 रा०रा०ख०,लो०नि०वि० बड़कोट 5 अ०ख०,लो०नि०वि० भत्तूड 6 प्रा०ख०, लो०नि०वि० देहरादून 7 नि०ख०,लो०नि०वि० उत्तरकाशी 8 प्रा०ख०, लो०नि०वि० उत्तरकाशी 9 नि०ख०,लो०नि०वि० दुग्गडा 10 नि०ख०,लो०नि०वि० बड़कोट	पात्र है।	प्रार्थी के सम्पूर्ण सेवाकाल में से 13 वर्ष की सेवा दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण की गयी है।

Sachin
15/11/2023

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम:- सचिन अशोक
पदनाम:-सहायक अभियन्ता

OK

[Signature]
हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)
अधिसायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

अनुसूची के अन्तर्गत पर विचारित करने का प्रारम्भ-2

[illegible]

कट- कालन सन्ध्या १ मे तादि मा अक्षर ड सन्ध मे प्रथम रूप के निमित्त कालन पुन प्रारम्भ होला जेना प्रथम कालन बनिबाब होला तब तब की बारा के प्रथम रूप होला जेना

(१५) मेमोरान्डम निमित्तक

काल मे सम्मानित अधिकारी


 (अनिल कुमार)
 निरीक्षक, अन्वेषण विभाग
 नैनीताल

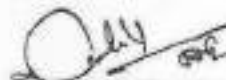
पुनः मे सम्पुर्ण स्थिति
(२) सत्यम् कुमार काश्यप
अभिजाती अभियन्ता
निर्माण खाद्य लैबोरेटरी
मैसूरुवाटन ।

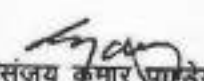
अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं. 0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान यथारिता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रवेश कुमार	प्रभारी सहामक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।	हरिद्वार/भगवानपुर	(1) नि.म.ख.लो.नि.वि. (2) प्र.म.ख.लो.नि.वि. (3) रा.म.ख.लो.नि.वि. (4) नि.म.ख.लो.नि.वि. (5) काशीपुर (6) रा.म.ख.लो.नि.वि. (7) नि.म.ख.लो.नि.वि. (8) रा.म.ख.लो.नि.वि. (9) रा.म.ख.लो.नि.वि. (10) नि.म.ख.लो.नि.वि.	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण

नोट:- कालम संख्या 7 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निम्नलिखित प्रमाण पत्र सहायक प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा

मूल में संस्तुति सहित


 (प्रवेश कुमार)
 प्र.म.ख.लो.नि.वि.
 निर्माण खण्ड-लोक निर्माण विभाग,
 नैनीताल


 (इ. संजय कुमार पाण्डेय)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
 नैनीताल।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2								
क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विनेश कुमार	सहायक अभियन्ता (सिविल)	मुख्य अभियन्ता, राठमाड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	देहरादून / सदर	1 राठमाड खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला 2 राठमाड खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून 3 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून 4 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून 5 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की (हरिद्वार)	1- धारा 17(ख)एक. 2- 7घ (तीन) 3- 3घ 4- धारा 13(4)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण चिकित्सा प्रमाण पत्र	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक को 7घ (तीन) (संलग्नक- 1) एवं धारा 3घ के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट का प्राविधान है एवं धारा 17(ख)एक, धारा 13(4) (संलग्नक- 2, 3) के अन्तर्गत प्रार्थी अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक स्थानान्तरण का पात्र है। साथ ही लगभग 10 वर्षों की दुर्गम की सेवा पूर्ण है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम- विनेश कुमार
 पदनाम- सहायक अभियन्ता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालय)
 नाम- ई० दीपक कुमार यादव
 पदनाम- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1

6:57pm (15/05/2023)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र. सं.	सं. नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐतिहासिक स्थान परिवर्तन क्रम में	एवं की घास (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यी साहित्य)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनिल कुमार	सहायक अभियन्ता	नि०ख० लो०नि०वि०, पाबी	देहरादून/ देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० कृषिकेश	विवेकता प्रमाण पत्र संलग्न है	
2					रा०रा०मार्ग खण्ड डोईवाला		
3					प्रा०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार		
4					प्रा०ख० लो०नि०वि०, देहरादून		
5					नि०ख० लो०नि०वि०, रुढ़की		
6					नि०ख० लो०नि०वि०, देहरादून		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम -

अनिल कुमार

पदनाम-

सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)

नाम - ड० के०एस० नेगी

पदनाम- अधिरासी अभियन्ता

नि०ख०, लो०नि०वि०, पाबी

15/05/23

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अमित कुमार वर्मा	सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग डोईवाला	जनपद हरिद्वार/तहसील रुड़की		धारा के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी दिव्यांगता श्रेणी के अन्तर्गत है। दिव्यांग कर्मियों को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(1)(ख) (एक) के अनुसार प्राविधान है।
					1 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रुड़की	धारा 13(4)	दिव्यांगता प्रमाणपत्र	
					2 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार			

हस्ताक्षर (कर्मिक)

नाम:- अमित कुमार वर्मा

पदनाम:- सहायक अभियन्ता (सिविल)

कार्यालय:- रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 डोईवाला

हस्ताक्षर (कार्यालय अध्यक्ष)

नाम:- श्री प्रवीण कुमार

पदनाम:- अपिरासी अभियन्ता

कार्यालय:- रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 डोईवाला

OFFICE OF CHIEF MEDICAL OFFICER, HARIDWAR

Certificate No. 13632

DISABILITY CERTIFICATE

Date: 08/11/15

This is certified that Shri/Smt. Kum. Amit Kumar Verma
 Son/Wife/Daughter of Shri. Subash Chandra Verma Age 37 Sex M
 Address 47, Bank Road Identification Mark (s)

is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or Cerebral palsy : Paralysis

- (i) BL-Both legs affected but not arms
- (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One Leg affected (right of left)

(a) Impaired reach (b) Weakness of grip

(v) OA-One arms affected

(a) Impaired reach (b) Weakness of grip

(vi) BH-Stiff back and hips (can not sit or stoop)

(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or I om Vision

(i) B-Bind (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment :

(i) D-Deaf (ii) PD-Partinly Deaf (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive / non-progressive / likely to improve / not likely to improve reassessment of this case is not recommended / is recommended after a period of 4-5 years.

3. Percentage of disability in has/her case is 40-45% Months.

4. Sh./Smt. Kum. Amit Kumar Verma Meets the following physical requirements

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers
- (ii) PP-can perform work by pulling and pushing.
- (iii) L-can perform work lifting.
- (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.
- (v) B-can perform work by bending.
- (vi) S-can perform work by sitting.
- (vii) ST-can perform work by standing.
- (viii) W-can perform work by Walking.
- (ix) SE-can perform work by Secing.
- (x) H-can perform work by hearing / speaking.
- (xi) RW-can perform work by reading and writing.

Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No
 Yes/No



Chief Medical Officer,
 Haridwar (U.K.)
 Chairperson
 Medical Board

Member
 Medical Board

Member
 Medical Board